न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. मंजू,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 004/2025 (अपील रसद)
पंजीयन दिनांक 21.04.2025
G.C.M.S. NO. :- 2025/84

राजस्थान सरकार जरिये सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री पवन सिंह पिता भंवर सिंह निवासी सैंती, चिरमी रेस्टोरेन्ट, रेलवे स्टेशन, चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत अभिगृहित सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थिति :– 1–पैरोकार सरकार
2–श्री राकेश पुरी गोस्वामी अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 12.05.2026

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक/एफ 65(1) खा.वि./एलपीजी/2024 दिनांक 22.11.2024 से प्रदत्त निर्देशों के तहत जिले में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं से जान–माल एवं राजस्व हानि को दृष्टिगत रखते हुए दुरूपयोग को रोकने के लिए जिले में चलाए जा रहे सघन अभियान के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 004/2025 (अपील रसद)
राजस्थान सरकार जरिए सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम पवन सिंह पिता भंवर सिंह निवासी सैंती, चिरमी रेस्टोरेन्ट, रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़

तहत दिनांक 24.01.2025 को चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र में अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की शिकायत मिलने पर श्री पवन सिंह पिता भंवर सिंह के प्रतिष्ठान चिरमी रेस्टोरेन्ट, रेलवे स्टेशन, चित्तौड़गढ़ पर मौके पर पहुंच औचक निरीक्षण किया गया तो, मौके पर 02 घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण होना पाया गया। मौके पर विपक्षी से घरेलू गैस सिलेण्डरों से संबंधित दस्तावेज मांगने पर उनके पास मौके पर नहीं होना बताया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाने से मौके पर उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली (01 आईओसीएल एवं 01 बीपीसीएल) जब्त कर, उक्त जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना-पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश पुरी गोस्वामी ने अधिकार पत्र पेश किया एवं प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस किए जाने हेतु निवेदन किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नही किया जा सकता है। दिनांक 24.01.2025 को औचक निरीक्षण के दौरान विपक्षी के प्रतिष्ठान चिरमी रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण करने पर विपक्षी के प्रतिष्ठान में घरेलू गैस के 02 सिलेण्डर अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 004/2025 (अपील रसद)
राजस्थान सरकार जरिए सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम पवन सिंह पिता भंवर सिंह निवासी सैंती, चिरमी रेस्टोरेन्ट, रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी के प्रतिष्ठान पर जो घरेलू श्रेणी के 02 गैस सिलेण्डर पाए गए उनमें गैस नहीं होकर वह खाली सिलेण्डर थे जो कि विपक्षी के घर खाना बनाने हेतु प्रयुक्त किये जाते हैं परिवारजन द्वारा ध्यान नहीं रखने से उक्त गैस सिलेण्डर अचानक खाली हो गए तथा पूर्व में सिलेण्डर बुक भी नहीं कराने से विपक्षी गैस ऐजेन्सी पर उन्हें सीधे देकर भरे हुए गैस सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु जाने वाला था उसी दौरान रसद विभाग की टीम द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों को जब्त कर लिया गया। मौके पर उक्त सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था बल्कि अन्य व्यवसायिक उपयोग के दो गैस सिलेण्डर मौके पर व्यवसायिक उपयोग में प्रयुक्त किये जा रहे थे। विपक्षी द्वारा किसी प्रकार से नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाकर विपक्षी के 02 गैस सिलेण्डर पुनः उसे लौटाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका एवं जब्ती दिनांक 24.01.2025 का अवलोकन करने पर स्पष्ट प्रतिवेदित है कि विपक्षी के प्रतिष्ठान के निरीक्षण के दौरान उक्त घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर मौके पर खाली पड़त पडे हुए पाए गए जबकि अन्य 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर प्रतिष्ठान पर व्यवसायिक उपयोग में प्रयुक्त पाए गए उक्त तथ्य स्वयं प्रार्थी की फर्द मौका एवं जब्ती में अंकित है तथा उक्त फर्द मौका एवं जब्ती पर स्वयं प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 004/2025 (अपील रसद)
राजस्थान सरकार जरिए सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम पवन सिंह पिता भंवर सिंह निवासी सैंती, चिरमी रेस्टोरेन्ट, रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़

इस प्रकार पैरोकार सरकार प्रकरण में जब्तशुदा उक्त 02 घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों से विपक्षी द्वारा व्यवसायिक उपयोग करना प्रमाणित कराने में विफल रहे हैं।

निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं जब्तशुदा घरेलू श्रेणी के 02 गैस सिलेण्डर (01 आईओसीएल एवं 01 बीपीसीएल) विपक्षी को पुनः सुपुर्द करने के आदेश दिए जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(डॉ. मंजू)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official